

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नेकिराम बनाम कालूराम वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय


मुकदमा नम्बर:-31/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तालीम में जारी हुये
------------	---------------------------------------	--

28.05.2024


वकील डिक्रीदार श्री सरदार सिंह एड० प्रथम ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023(संशोधित निर्णय 14.05.2024) की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वारस्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 को पेश हो।


1882
30-5-24


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सॉवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 949 दिनांक 26.06.2024 एवं 878 दिनांक 26.12.23 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

ऑनलाईन
मिलान किया
अ.स.
949, 878
26.12.23
द्वारा आदेश
की पालना
की जाती है।

30/8


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

